उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के आपातकालीन बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	33
दिनाँक	:	03 मई, 2014
समय	:	अपराह्न 12:30 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 03 मई, 2014 को अपराह्न 12:30 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 33वीं आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	डॉ. पृथ्वीश नाग कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. डॉ. जी.के. द्विवेदी, सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. डॉ. दिनेश सिंह, सदस्य
सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. डॉ. बी.एन. सिंह, विशेष आमंत्रित सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. मुकेश, विशेष आमंत्रित सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. डॉ. ए.के. सिंह सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. प्रो. एम.डी. तिवारी,
पूर्व निदेशक, आई.आई.आई.टी, झलवा, इलाहाबाद

2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
अधिशाषी निदेशक,
स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110009

3. प्रो. डी.के. वैद्य,
आचार्य एवं डीन समन्वयन, NCERT
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016

4. प्रो. के.के. भूटानी,
निदेशक, UPTECH,
तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
(निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)

5. प्रो. एच.पी. तिवारी,
पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
389, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व नवागत कुलपति डॉ. पृथ्वीश नाग जी ने सभी उपस्थित सदस्यों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 33.01

दिनाँक 03 मई, 2014 को परीक्षा समिति की सम्पन्न आपातकालीन बैठक में की गई संस्तुतियों पर विचार

(1) **सत्र 2009 – 10 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 22005/2014 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये Observation के आलोक में प्रकरण पर विचार**

कुमारी प्रिया मिश्रा ने सत्र 2009 – 10 में बी. ए. सामान्य कार्यक्रम में अध्ययन केन्द्र एस 189 गौतम बुद्ध महाविद्यालय, फूलपुर, इलाहाबाद में प्रवेश हेतु आवेदन किया था। प्रवेशोपरान्त उन्हें नामांकन संख्या 921891010202 आवंटित किया गया था। कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा प्रवेश सूचना विवरणिका 2009–10 में उल्लिखित प्रतिबन्धित विषयों संस्कृत व समाजशास्त्र का एक साथ चयन कर क्रमशः जून 2011 व जून 2012 में परीक्षा दी गयी। जून 2011 व जून 2012 की परीक्षा के सापेक्ष उनका अंकपत्र भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कर दिया गया। कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा प्रतिबन्धित विषयों के चयन किये जाने की स्थिति का विश्वविद्यालय के संज्ञान में आने पर प्रवेश सूचना विवरणिका 2009–10 **(संलग्नक 01)** के प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा उनके बी. ए. कार्यक्रम पूर्ण करने (श्रेणी सहित) का अंकपत्र निर्गत नहीं किया गया। कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा अपने कार्यक्रम के जिन प्रश्नपत्रों (पाठ्यक्रमों) की परीक्षा दी गयी थी उसके सापेक्ष अपने बी. ए. कार्यक्रम का पूर्ण (उत्तीर्ण) अंकपत्र (श्रेणी सहित) निर्गत करने हेतु मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 22005/2014 कुमारी प्रिया मिश्रा बनाम कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद व अन्य योजित किया गया। योजित याचिका में सुनवायी के समय मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये Observations के आलोक में विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा कुमारी प्रिया मिश्रा को जून 2012 परीक्षा के सापेक्ष निर्गत अंकपत्र में उत्तीर्ण (Pass) अथवा अनुत्तीर्ण (Fail) अंकित करते हुये

संशोधित अंकपत्र निर्गत करने हेतु अपेक्षा की गयी । उल्लेख करना है कि जून 2011 व जून 2012 की परीक्षा के पूर्व प्रवेश पत्र निर्गत करने के समय कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा प्रतिबन्धित विषयों के चयन करने की जॉच सम्यक ढंग से नहीं की जा सकी थी जिससे यह त्रुटि हुयी थी। इस त्रुटि को मा. उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है तथा इस पर विश्वविद्यालय से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है। दिनांक 30/04/2014 को प्रश्नगत याचिका की सुनवायी में मा. उच्च न्यायालय द्वारा याची को पुनः नया संशोधित प्रत्यावेदन **(संलग्नक 02)** प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रश्नगत याचिका की सुनवायी पुनः दिनांक 08/05/2014 को प्रस्तावित है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार करके निम्नवत संस्तुतियाँ की –

I. **कुमारी प्रिया मिश्रा के प्रकरण में छात्रा के हित व व्यतीत समय एवं योजित याचिका के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थिति में प्रवेश सूचना विवरणिका में वर्णित प्रतिबन्धित विषय विकल्पों में छूट प्रदान करते हुए उनके द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंकपत्र श्रेणी सहित निर्गत किया जाय।**

II. **प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के किसी अन्य प्रकरण के संज्ञान में आने पर परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर मा. कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया जाय।**

III. **प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश रोकते हुये, नामांकन संख्या व परिचय पत्र न आवंटित किये जाय।**

IV. **परीक्षा अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश पत्र न जारी किया जाय। यदि शिक्षार्थी प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के साथ परीक्षा दे देता है तो उसका परिणाम रोक दिया जाये।**

V. **अंकपत्र के प्रारूप संशोधन हेतु मा. कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जाय।**

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की उक्त अनुशंसाओं पर सम्यक ढंग से विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसाओं को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने स्वीकार किया।

(2) **अध्ययन केन्द्र S-004: श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज, बलिया द्वारा जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने के कारण रोके गये परीक्षाफल पर विचार**

श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज, बलिया द्वारा अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने तथा सम्बन्धित शिक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने के सापेक्ष प्राचार्य, मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज बलिया के जून 2013 परीक्षा की परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी पत्र **(संलग्नक–03)** पर चर्चा की गयी और विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष जिन शिक्षार्थियों के अधिन्यास के कारण अंकपत्र अपूर्ण हैं उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित लिखित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में जमा करने के लिये सूचित किया जाय तथा उसका मूल्यांकन करा कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाये। यह सूचना अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य/समन्वयक को भी प्रेषित किया जाय। अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने सम्बन्धी अनियमितता के लिये अध्ययन केन्द्र पर रु. 03 लाख का जुर्माना भी लगाया जाय।

CoE

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

(3) **अध्ययन केन्द्र S-703 : डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनजमेन्ट, देवरिया के प्रबन्धक के दिनाँक 12-04-2014 के पत्र पर विचार**

डिफेन्स कालेज आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंन्ट, देवरिया के प्रबन्धक के दिनाँक 12-04-2014 के पत्र, **(संलग्नक–04)**, जो परीक्षा केन्द्र को काली सूची से बाहर करने एवं केन्द्र की पुरानी स्थिति बहाल करने के सम्बन्ध में है, पर चर्चा की गयी और परीक्षा समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

सम्बन्धित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं इसलिये मा. उच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा किया जाय तथा परीक्षा समिति के पुराने निर्णय को यथावत रखा जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

(4) **अध्ययन केन्द्र राजा कान्ह पी.जी. कालेज, जगेसरगंज, सुल्तानपुर के शिक्षार्थी श्री ओम प्रकाश तिवारी 1498, नवीनपुर शाहगंज (श्यामानगर) सुल्तानपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से योजित याचिका संख्या 37079/2012 में पारित आदेश दिनाँक 31.07.2012 के अनुसरण में कृत कार्यवाही से अवगत होना**

श्री ओम प्रकाश तिवारी, 1498, नवीपुर, शाहगंज, (श्यामनगर) सुल्तानपुर के शिकायती पत्र तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या – 37079/2012 ओम प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2012 के अनुपालन में तत्कालीन मा. कुलपति जी द्वारा दिनांक 04/10/2013 को निर्गत **आदेश/निर्णय से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। आदेश** के अनुपालन में कृत कार्यवाही से भी परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पत्र व अनुस्मारक के उत्तर अद्यतन प्रतीक्षित हैं।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र के उत्तर आने तक प्रकरण पर अग्रेतर कोई कार्यवाही न की जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा अनुस्मारक भेजा जाय एवं उन्हे दो माह का समय दिया जाय अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन मा0 कुलपति जी द्वारा निर्गत आदेश/निर्णय के आलोक में कार्यवाही किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 33.02

अधिन्यास प्रश्न पत्र निर्माण के सम्बन्ध में विचार

दिनाँक 18 सितम्बर, 2012 को सम्पन्न कार्य परिषद् की 62वीं Adjourned बैठक के संकल्प संख्या 62.13(10) के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्क्रमों के अधिन्यास के चार सेट बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। अधिन्यास के चार सेट बनाये जाने से अधिक धनराशि व्यय हो रहा है। अतः प्रकरण पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि अधिन्यास प्रश्न पत्र व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा करके विभिन्न विद्याशाखाओं के निदेशकों की एक समिति गठित कर उनसे तत्काल प्रस्ताव प्राप्त कर माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जाय। विद्या परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 के लिए एक–एक अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाने के लिए सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिन्यास निर्माता का नाम निर्धारित करने एवं निर्मित कराने के लिए अधिकृत किया जाय। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम निर्धारित करने एवं मूल्यांकन कराये जाने हेतु भी सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिकृत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 33.03

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए. कार्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के प्रतिबन्ध पर सरलीकरण किए जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु कतिपय विषयों को एक साथ चयन किये जाने पर प्रतिबन्ध है जिस पर विचार किया जाना आवश्क है।

विद्या परिषद् ने वैकल्पिक विषयों के चयन में प्रतिबन्ध के सरलीकरण किये जाने हेतु डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को एक प्रस्ताव बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ.(ए.के. सिंह)
कुलसचिव

संलग्नक-01

फार्म नम्बर 00318

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

Information Brochure

सूचना-विवरणिका

सत्र 2009-2010

सबको शिक्षा, सबको ज्ञान

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर
शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद -211013

स्नातक कला कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश

इस वर्ष से विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक कला कार्यक्रम के लिए तीन प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं। शिक्षार्थी अपनी रुचि एवं सुविधानुसार तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयनित कर सकते हैं। तीन प्रकार के विकल्पों की क्रेडिटवार पाठ्य संरचना का विवरण नीचे दिया जा रहा है। शिक्षार्थी को अपने समूह के अन्तर्गत ही वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों को चयन करने की बाध्यता होगी। अपने समूह से हटकर प्रश्न-पत्र चयन की विधि को विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य कर दिया जायेगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षार्थी का होगा। बी0एस-सी0 कार्यक्रम के वैकल्पिक समूह एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

विकल्प/समूह	आधार पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट	व्यवहार मूलक पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट	अनिवार्य प्रश्न पत्र नॉन-क्रेडिट	वैकल्पिक पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट			कुल क्रेडिट
				प्रथम विषय	द्वितीय विषय	तृतीय विषय	
B.A. (सामान्य) OR	—	—	CHEQ/ EA	32	32	32	96
B.A. (मेजर) OR	UGFHS, UGFST, UGFIT, UGFEG OR UGFHD (24)	AOCHE OR AOCNC (8)	CHEQ/ EA	48 मुख्य विषय	8	8	96
B.A. (रोजगारपरक)	UGFHS, UGFST, UGFIT UGFEG, OR UGFHD (24)	AOCHE OR AOCNC (8)	CHEQ/ EA	24	24	16	96

स्नातक कला (B.A.) में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की सूची

स्नातक कला में निम्न वैकल्पिक विषयों में से तीन विषय चुने जा सकते हैं। विषय चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित का ध्यान रखना होगा:

(i) स्नातक कला में उर्दू-संस्कृत, संस्कृत-समाजशास्त्र, गणित-इतिहास, फैशन डिजाइनिंग-टेक्सटाइल डिजाइनिंग विषय एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं।

(ii) तीन साहित्य एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं; हिन्दी, संस्कृत-उर्दू एवं अंग्रेजी में केवल दो ही विषय एक साथ लिए जा सकते हैं

(iii) सांख्यिकी विषय भी बी0ए0 के शिक्षार्थी ले सकते हैं लेकिन किसी साहित्य के साथ इसे नहीं लिया जा सकता है।

स्नातक कला पाठ्यक्रम के वैकल्पिक विषयों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है

क्र.	विषय	समूह एक	समूह दो	समूह तीन	समूह चार	समूह पाँच	समूह छह
1	हिन्दी	UGHI-01	UGHI-02	UGHI-03	UGHI-04	UGHI-05 UGHI-06	UGHI-07 UGHI-08
2.	अंग्रेजी	UGEN-01	UGEN-02	UGEN-03	UGEN-04	UGEN-05	UGEN-06 UGEN-07
3.	राजनीतिशास्त्र	UGPS-01	UGPS-02	UGPS-03	UGPS-04	UGPS-05	UGPS-06 UGPS-07
4.	इतिहास	UGHY-01	UGHY-02	UGHY-03	UGHY-04	UGHY-05	UGHY-06 UGHY-07

सलग्नक-02

Court No. - 38

Case :- WRIT - C No. - 22005 of 2014

Petitioner :- Km. Priya Mishra
Respondent :- Vice Chancellor U.P. Rajarshi Tandon Open Univ. & 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Siddharth Saran
Counsel for Respondent :- A.K. Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.

The submission of learned counsel for the petitioner is that during the pendency of the writ petition, a marks sheet has been issued to her but it does not indicate whether the petitioner had passed or failed in the examination. He thus submits that the marks sheet issued is incomplete.

Sri A.K. Singh learned counsel for the respondent - University submits that since the petitioner had not appeared in the correct combination of papers, therefore, her status whether she had failed or passed in the examination cannot be shown in the marks sheet.

Counsel for the petitioner prays for and is granted time to move necessary amendment application.

List in the next cause list.

(Manoj Kumar Gupta, J.)

Order Date :- 30.4.2014
skv

O.S.D. (परीक्षा)/ परीक्षा नियंत्रक 30.04.14

(स्थापित 9 जुलाई 1955)

संलग्नक-03

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

S.M.M. TOWN P.G. COLLEGE, BALLIA - 277001

(*Affiliated :* MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI)

Accredited: 'B' Grade by NAAC

पत्रांक : 09/परीक्षाफल/जून 2013 स्मृतिपत्र द्वितीय दिनांक: 25.03.2014

C.E.
Pl. inform the status.
29-3-14

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद--211013

विषय: वार्षिक परीक्षा जून 2013 के परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन केन्द्र S-004 श्री मु0म0 टाउन पी0जी0 कालेज, बलिया से पंजीकृत परीक्षार्थियों जिनकी परीक्षा जून, 2013 में सम्पन्न हुई थी अब तक परीक्षाफल अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध नहीं हो पाया है जबकि सम्बन्धित सत्र के शिक्षार्थियों के अधिन्यासों का मूल्यांकन अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री विलम्ब से मिलने के कारण शिक्षार्थी अपने अधिन्यास पुस्तिकाओं को विलम्ब से जमा किये, जिसका मूल्यांकन पूर्व की भाँति सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित कराके वि0वि0 को प्रेषित किया गया तथा अधिन्यास पुस्तिकाओं को शिक्षार्थियों को वापस कर दिया गया।

उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 18.01.2014 पत्रांक 01/परीक्षाफल जून 2013 एवं पत्रांक 02/परीक्षा फल जून, 2013 (स्मृति पत्र) दिनांक 28.01.2014 को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आपसे पुनः निवेदन है कि शिक्षार्थियों के भविष्य एवं अभिभावकों के बढ़ते दबाव तथा अध्ययन केन्द्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाफल घोषित कर अंक पत्र अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

महाविद्यालय सर्वदा आपके आदेशों का पालन करेगा।

प्रभारी प्राधि०
31.3.14

समन्वयक अध्ययन केन्द्र
उ० प्र० राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
श्री मु. म. टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बलिया

प्राचार्य
प्राचार्य
श्री मु. म. टाउन स्ना. महाविद्यालय
बलिया.

(स्थापित 9 जुलाई 1955)

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

S.M.M. TOWN P.G. COLLEGE, BALLIA - 277001

(*Affiliated :* MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH,VARANASI)

Accredited: 'B' Grade by NAAC

पत्रांक : 09/परीक्षाफल/जून 2013 स्मृतिपत्र द्वितीय दिनांकः 25.03.2014

C.E.
Pl. inform the status.
29-3-14

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद--211013

विषयः वार्षिक परीक्षा जून 2013 के परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन केन्द्र S-004 श्री मु0म0 टाउन पी0जी0 कालेज, बलिया से पंजीकृत परीक्षार्थियों जिनकी परीक्षा जून, 2013 में सम्पन्न हुई थी अब तक परीक्षाफल अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध नहीं हो पाया है जबकि सम्बन्धित सत्र के शिक्षार्थियों के अधिन्यासों का मूल्यांकन अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री विलम्ब से मिलने के कारण शिक्षार्थी अपने अधिन्यास पुस्तिकाओं को विलम्ब से जमा किये, जिसका मूल्यांकन पूर्व की भाँति सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित कराके वि0वि0 को प्रेषित किया गया तथा अधिन्यास पुस्तिकाओं को शिक्षार्थियों को वापस कर दिया गया।

उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 18.01.2014 पत्रांक 01/परीक्षाफल जून 2013 एवं पत्रांक 02/परीक्षा फल जून, 2013 (स्मृति पत्र) दिनांक 28.01.2014 को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आपसे पुनः निवेदन है कि शिक्षार्थियों के भविष्य एवं अभिभावकों के बढ़ते दबाव तथा अध्ययन केन्द्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाफल घोषित कर अंक पत्र अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

महाविद्यालय सर्वदा आपके आदेशों का पालन करेगा।

प्रभारी प्रो0
31.7.14

समन्वयक अध्ययन केन्द्र
उ0 प्र0 राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
श्री मु. म. टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बलिया

12

प्राचार्य

प्राचार्य
श्री मु. म. टाउन स्ना. महाविद्यालय
बलिया

(स्थापित 9 जुलाई 1955)

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

S.M.M. TOWN P.G. COLLEGE, BALLIA - 277001

(*Affiliated :* MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI)

Accredited: 'B' Grade by NAAC

पत्रांक : 09/परीक्षाफल/जून 2013 स्मृतिपत्र द्वितीय दिनांक: 25.03.2014

C.E.
Pl. inform the status.
29-3-14

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद–211013

विषय: वार्षिक परीक्षा जून 2013 के परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन केन्द्र S-004 श्री मु0म0 टाउन पी0जी0 कालेज, बलिया से पंजीकृत परीक्षार्थियों जिनकी परीक्षा जून, 2013 में सम्पन्न हुई थी अब तक परीक्षाफल अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध नहीं हो पाया है जबकि सम्बन्धित सत्र के शिक्षार्थियों के अधिन्यासों का मूल्यांकन अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री विलम्ब से मिलने के कारण शिक्षार्थी अपने अधिन्यास पुस्तिकाओं को विलम्ब से जमा किये, जिसका मूल्यांकन पूर्व की भाँति सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित कराके वि0वि0 को प्रेषित किया गया तथा अधिन्यास पुस्तिकाओं को शिक्षार्थियों को वापस कर दिया गया।

उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 18.01.2014 पत्रांक 01/परीक्षाफल जून 2013 एवं पत्रांक 02/परीक्षा फल जून, 2013 (स्मृति पत्र) दिनांक 28.01.2014 को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आपसे पुनः निवेदन है कि शिक्षार्थियों के भविष्य एवं अभिभावकों के बढ़ते दबाव तथा अध्ययन केन्द्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाफल घोषित कर अंक पत्र अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

महाविद्यालय सर्वदा आपके आदेशों का पालन करेगा।

प्रभारी प्राधि०
31.3.14

समन्वयक अध्ययन केन्द्र
उ० प्र० राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
श्री मु. म. टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बलिया

13

प्राचार्य
प्राचार्य
श्री मु. म. टाउन स्ना० महाविद्यालय
बलिया

(स्थापित 9 जुलाई 1955)

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

S.M.M. TOWN P.G. COLLEGE, BALLIA - 277001

(*Affiliated :* MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH,VARANASI)

Accredited: 'B' Grade by NAAC

पत्रांक : 09/परीक्षाफल/जून 2013 स्मृतिपत्र द्वितीय दिनांक: 25.03.2014

C.E.
Pl. inform the status.
29-3-14

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद--211013

विषयः वार्षिक परीक्षा जून 2013 के परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन केन्द्र S-004 श्री मु0म0 टाउन पी0जी0 कालेज, बलिया से पंजीकृत परीक्षार्थियों जिनकी परीक्षा जून, 2013 में सम्पन्न हुई थी अब तक परीक्षाफल अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध नहीं हो पाया है जबकि सम्बन्धित सत्र के शिक्षार्थियों के अधिन्यासों का मूल्यांकन अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री विलम्ब से मिलने के कारण शिक्षार्थी अपने अधिन्यास पुस्तिकाओं को विलम्ब से जमा किये, जिसका मूल्यांकन पूर्व की भाँति सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित कराके वि0वि0 को प्रेषित किया गया तथा अधिन्यास पुस्तिकाओं को शिक्षार्थियों को वापस कर दिया गया।

उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 18.01.2014 पत्रांक 01/परीक्षाफल जून 2013 एवं पत्रांक 02/परीक्षा फल जून, 2013 (स्मृति पत्र) दिनांक 28.01.2014 को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आपसे पुनः निवेदन है कि शिक्षार्थियों के भविष्य एवं अभिभावकों के बढ़ते दबाव तथा अध्ययन केन्द्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाफल घोषित कर अंक पत्र अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

महाविद्यालय सर्वदा आपके आदेशों का पालन करेगा।

प्रभारी प्राधि०
31.3.14

समन्वयक अध्ययन केन्द्र
उ० प्र० राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
श्री मु. म. टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बलिया

14

प्राचार्य
प्राचार्य
श्री मु. म. टाउन स्ना०. महाविद्यालय
बलिया

In Vikram Jhu.
15-4-14
संलग्नक-04

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365

डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. : 07/04/Correspondance/2013-14 Dated : 12/04/2014

E. C.
Pl. put in with the next Exam Cmn. for review.
17/4

प्रेषक,

प्रबन्धक
डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया (उ0प्र0) – 274001

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0) – 211013

विषय :– अध्ययन केन्द्र संख्या S-703 डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम करने के पश्चात काली सूची में डालने, परीक्षा केन्द्र निरस्त करने तथा साजिश के पर्दाफाश होने के उपरान्त महाविद्यालय की खोई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने व पुरानी स्थिति बहाल करने हेतु आपके मार्गदर्शन के सन्दर्भ में।

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि **केन्द्र संख्या S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) को सत्र जून 2013 में सम्पन्न हुई परीक्षाओं के दौरान दिनांक 20/06/2013 को सायं 06 बजकर 30 मिनट पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं एस0डी0एम0 देवरिया सदर द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत छापेमारी कर बदनाम किया गया तथा उसी साजिश के आलोक में उपरोक्त केन्द्र/महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ. यू/परीक्षा/6883/2013 के द्वारा महाविद्यालय को काली सूची में डाल दिया गया तथा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय भी परीक्षा समिति की बैठक में पारित करवा दिया गया। दिनांक 20/06/2013 की परीक्षोपरांत रचे गये साजिश के स्पष्टीकरण तथा व्यक्तिगत तौर पर भी विश्वविद्यालय को लगातार यह बताया गया कि केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध साजिश रची गयी है, परन्तु हमारी यह बात कतिपय लोगों के प्रभाव में या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं सुनी गयी।

श्रीमान जी को विदित कि मैं स्वयं (प्रबन्धक) तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर ए0के0 बख्शी के समक्ष उपस्थित हुआ और पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी दी इसके बाद परीक्षा के दौरान नियुक्त पर्यवेक्षक तथा महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा लिखित स्पष्टीकरण भी दिया। उक्त स्पष्टीकरण से तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय पूरी तरह संतुष्ट हो गये और हमें यह आश्वासन भी दिया कि **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय के कई जिम्मेदार पदाधिकारीगण तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय के पीठ पीछे जिले के कई शिक्षा माफियायों के इशारे पर कार्य करते रहे और मेरे महाविद्यालय के विरूद्ध साजिश रचते रहे। इसके पीछे बड़ी वजह यह रही है कि कई शिक्षा माफियायों के महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों से

23.04.14

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :.......................   Dated :..........................

अन्य सम्बन्द्ध केन्द्रो के परीक्षार्थीयों को हटाकर तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय की सहमति से मेरे महाविद्यालय के साथ जोड़कर परीक्षा केन्द्र बनाया गया जिससे उनकी कमाई का जरिया बाधित हुआ, जिससे सारे शिक्षा माफिया खार खा बैठे और विश्वविद्यालय में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मेरे महाविद्यालय को नेस्तनाबूत और बदनाम करने की साजिश रच डाली।

श्रीमान जी को विदित हो कि उक्त घटनाक्रम के विरूद्ध आजतक की गयी समस्त कार्यवाही (स्पष्टीकरण) से प्रार्थी पुनः आपको बिन्दुवार अवगत कराना चाहुँगा जिससे कि सारे घटनाक्रम में अपने आप दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। जिसके उपरान्त प्रार्थी आपसे न्याय की उम्मीद करता है। (संलग्नक – 01 व 03)

(01) **पर्यवेक्षक महोदय का स्पस्टिकरण :–**

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ. यू. /परीक्षा/गोपनीय/2013 दिनांक रहित द्वारा **डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी** को **परीक्षा केन्द्र** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) का पर्यवेक्षक दिनांक 07–06–2013 से 21–06–2013 तक प्रातः व सायं के लिए नकल विहीन एवं नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु नियुक्त किया गया था। इस सन्दर्भ में केन्द्र संख्या **S-703** के पर्यवेक्षक महोदय ने अपने शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि पत्र में उल्लिखित पैरा–1 से लगायत 4 का मैने निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया है।

जहाँ तक केन्द्र सं0 **S-703** पर दिनांक 20/06/2013 को द्वितीय पॉली की परीक्षा की बात है, के सन्दर्भ में मेरा स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि मैंने उक्त केन्द्र की परीक्षा की परीक्षा नियमानुसार अपने देख–रेख में सम्पन्न करायी तथा सायं 5:10 पर सभी उत्तरपुस्तिकाओं को केन्द्राध्यक्ष के कार्यालय में स्वयं के समक्ष केन्द्राध्यक्ष को सुपुर्द किया, जिसके बाद मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। ड्यूटी पूरी करने के बाद मैं अपने घर चला गया। मेरी ड्यूटी के दौरान न तो नकल हुई, न ही किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गयी और न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उक्त केन्द्र पर जाँच के लिए आया। (संलग्नक–02 व 04)

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप द्वारा यह न्याय किया जाय कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सायं 05 बजकर 10 मिनट पर केन्द्राध्यक्ष के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त सायं 06 बजकर 30 मिनट पर महाविद्यालय के प्रांगण में स्थित बाथरूम में उत्तरपुस्तिकाओं को कैसे और क्यों लिखवाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि एक साजिश के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक एवं एस0डी0एम0 देवरिया सदर द्वारा जबरिया मिलान की जा रही कॉपीयों में से कुछ कापीयाँ और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थीयों द्वारा लाए गए अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर स्टोर रूम रखा जाता है उसमें से कुछ अध्ययन सामग्री को अपने साथ लेकर चले गये। और मीडिया मैनेज कर जबरिया साजिश करने में कामयाब रहे व केन्द्र को बदनाम करने का मुर्त रूप करार दे दिया।

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :...................... Dated :.........................

(02) प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष महोदय का स्पस्टिकरण :—

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ. यू. /परीक्षा/गोपनीय/2013 दिनांक 21/05/2013 द्वारा यह सूचित किया गया कि माननीय कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में दिनांक 28/05/2013 से परीक्षाएँ सूचारू रूप से प्रारम्भ भी हुई कहीं किसी प्रकार की समस्या नही आड़े आई। इस सन्दर्भ में केन्द्र संख्या **S-703** के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष महोदय ने अपने स्पस्टिकरण आख्या 01/OU/Correspondance/2013 dated 20/07/2013 में स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 20 जून 2013 को द्वितीय पाली में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न विषयों की परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 53 निर्धारित थी तथा परीक्षाएँ निर्धारित समय सीमा दोपहर 02:00 से 05:00 बजे तक मेरे स्वयं की मौजूदगी में सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से करायी गई थी।

परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त सभी कक्ष निरीक्षक नियमतः 05 बजकर 10 मिनट पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्राध्यक्ष कार्यालय में जमा कर चले गये थे। तदोपरान्त केन्द्राध्यक्ष की स्वयं की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान करके सील करने की तैयारी की जा रही थी जैसा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा उक्त पत्रांक संख्या ओ. यू./परीक्षा/गोपनीय/2013 दिनांक 21/05/2013 के अनुभाग (2) के द्वारा निर्देशित किया गया था कि उत्तर पुस्तिकाओं को अगले दिन पूर्वाह्न रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा विश्वविद्यालय को भेजा जाना था। इसी दौरान सायं 06:30 बजे एस0डी0एम0 दिनेश गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ केन्द्र पर धावा बोला जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो वे मिलान की गयी उत्तर पुस्तिकाओं में से कुछ उत्तर पुस्तिका निकाल लिए तथा पुस्तकालय में जाकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत तथा परीक्षा के दौरान परीक्षार्थीयों द्वारा लाए गए अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर स्टोर रूम (पुस्तकालय) में रखा जाता है उसमें से कुछ अध्ययन सामग्री को निकाल लाए और जबरिया नकल सामग्री साबित करने पर अमादा हो गए। प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष ने जब इसका विरोध किया तो वे नाराज होकर धमकी देने लगे और अपने साथ लाए पुलिस बल के द्वारा दबाव बनाकर एक सादे कागज़ पर मनचाहा वक्तव्य लिखवा लिया। इसके बाद उन्होने जिला विद्यालय निरिक्षक व अपने करीबी मीडीया के कुछ लोगों को बुला लिया। (संलग्नक—05)

जहाँ तक अखबार में छात्रों के फोटो व खबर छपे हैं और उनको नकलची छात्र बनाया गया है इसका स्पस्टिकरण यह है कि परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त कुछ छात्र जो सूदूर क्षेत्रों से आते हैं वे अपने अभिभावकों के आने का इन्तजार महाविद्यालय के सामने सड़क पर कर रहे थे, उन छात्रों को एस0डी0एम0 के साथ आए बाबू और अर्दली पकड़ कर महाविद्यालय के छत पर ले जाकर जबरिया बैठाकर फोटो खिचवाई जो कि अखबार में प्रकाशित फोटो व खबर से साफ प्रतीत होता है कि आनन—फानन में जबरदस्ती छत पर बैठाकर (न कि लिखते हुए) फोटो खिंच कर खबर में बताया गया कि बाथरूम में कापियाँ लिखवाई जा रही थी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप द्वारा यह न्याय किया जाय कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सायं 05 बजकर 10 मिनट पर केन्द्राध्यक्ष के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :.......................   Dated :...........................

सायं 06 बजकर 30 मिनट पर महाविद्यालय के प्रांगण में या बाथरूम में उत्तरपुस्तिकाओं को क्यों लिखवाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि एक साजिश के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक एवं एस0डी0एम0 देवरिया सदर द्वारा मीडिया मैनेज कर जबरिया साजिश करने में कामयाब रहे व केन्द्र को बदनाम करने का मुर्त रूप करार दे दिया।

(03) **प्रबन्धक महोदय का स्पस्टिकरण :–**

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ. यू./परीक्षा/गोपनीय/6883/2013 दिनांक 10/09/2013 द्वारा केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया (उ0प्र0) को दिनांक 14/08/2013 को हुई परीक्षा समिति की 15वीं बैठक में परीक्षा केन्द्र न बनाए जाने का निर्णय दो आधारो पर ले लिया गया है जिसमे कि दोनो आधारों को आधारहीन करार देते हुए प्रबन्धक महोदय के तरफ से कई स्पस्टिकरण दिए गए व मार्गदर्शन भी माँगा गया। प्रथम आधार में बिना तथ्य के परीक्षार्थियों को सजा दे दिया गया। किन्तु द्वितीय आधार में जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार आधार बनाया गया। पत्रांक संख्या ओ.यू./परीक्षा/6883/2013 दिनांक 10/09/2013 का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जब हमने इस बावत जिला विद्यालय निरीक्षक रामाज्ञा कुमार से सम्पर्क किया और उनके द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गये शिकायती पत्र की एक प्रति मांगी और जानकारी चाही तो उन्होने ऐसे किसी पत्र को भेजे जाने की बात से इन्कार कर दिया। दिनांक 29/10/2013 को जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (उ0प्र0) द्वारा प्रेषित पत्र पृष्ठांकन संख्या/मेमो/2013–14 दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को महाविद्यालय के प्राचार्य को प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित है कि उक्त विषय अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नही आता है और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई पत्र प्रेषित किया गया है। जिससे साफ प्रतीत होता है कि तथाकथित अधिकारियों व शिक्षा माफियाओं द्वारा रचित एक सूनियोजित साजिश थी जिससे कि हमारा केन्द्र बदनाम हो जाय और उनका रास्ता साफ हो जाय।

इससे पहले भी पत्रांक संख्या 03/OU/Correspondance/2013-14 dated 06/11/2013, 04 / OU / Correspondance/2013-14 dated 22/11/2013, 05 / OU/Correspondance /2013-14 dated 23/11/2013 एवं 06/OU/ Correspondance/2013-14 dated 02/12/2013 के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है किन्तु प्रार्थी के महाविद्यालय को आजतक न्याय नही मिला। जबकि प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक महोदय द्वारा प्रेषित स्पस्टिकरण और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को प्रेषित पत्र के अनुसार स्वतः ही आधारहीन हो जाता है। (संलग्नक–07,08,09 व 10)

श्रीमान जी से सादर आग्रह है कि जबसे आपने उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0) के कुलपति महोदय के पद के रूप में चार्ज लिया है तब से प्रार्थी को काफी उम्मीद जगी है कि आप द्वारा उचित न्याय मिलेगा और महाविद्यालय को पुनः खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी।

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :...................... Dated :..........................

(04) जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी :-

समस्त उक्त स्पस्टिकरण/आख्याओं और समाचार पत्र के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (उ0प्र0) रामाज्ञा कुमार की भूमिका स्वतः संदिग्ध व साजिशतन ज्ञात हो जाता है, उनके द्वारा प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष से पैसों की मांग करना, केन्द्र पर मुकदमा लिखवाने की धमकी देना और बाद में पत्र प्रेषित कर अपने अधिकार क्षेत्र को बताना जैसे तमाम बातें यह इशारा करती हैं कि तथ्यों के आधार पर एक सूनियोजित साजिश है और कुछ नहीं।

साथ ही श्रीमान जी को जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के बारे में अवगत कराना है कि वे एक विवादित अधिकारी रहे हैं और रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए विजिलेन्स टीम द्वारा हाथरस (जिला-महामाया नगर) जिले में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। (जिसकी छायाप्रति प्रमाण संलग्नक-11,12है।)

उपरोक्त तथ्यों, कथ्यों से स्पष्ट है कि दाल में काला नहीं बल्कि काले में दाल है जो "चिराग तले अन्धेरा" वाली कहावत का जीवन्त उदाहरण है। मेरे केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध रची गयी साजिश के अभी बहुतेरे प्रमाण हैं। परन्तु अभी मै श्रीमान जी की अदालत में हूँ और मेरा पूरा विश्वास ही नहीं अपितु आपके प्रति पुर्ण आस्था है। कि आप द्वारा केन्द्र संख्या **S-703** को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। **इसके लिए आपं अथवा विश्वविद्यालय जिस स्तर पर कहेगी उस स्तर पर सहयोग व समझौता करने को तैयार रहुगाँ।**

अतः श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि मेरे परीक्षा केन्द्र **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध रची गयी साजिश का संज्ञान लेते हुए केन्द्र संख्या **S-703** को काली सूची से मुक्त करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाए रखने की महती कृपा प्रदान करें साथ ही संदिग्ध एवं विवादित भुमिका के लोगो की जॉच कराकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना विश्वविद्यालय हित में होगा जिससे भविश्य में किसी अन्य केन्द्र के साथ ऐसी साजिश न हो सके और विश्वविद्यालय बदनाम होने से बचा रहे।

भवदीय
Surya Tiwari
Manager
Defence College of Commerce
(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक
Technical Management
DEORIA (U.P.)-274001

संलग्नक :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या ओ. यू./परीक्षा/गोपनीय/2013 दिनांक 21/05/2013-केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या ओ. यू./परीक्षा/गोपनीय/2013 दिनांक रहित-पर्यवेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

urya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :........................ Dated :............................

3. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या ओ. यू. / परीक्षा / 5911 / 2013 दिनांक 24 / 06 / 2013–कुलपति महोदय द्वारा स्पस्टिकरण / आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
4. पर्यवेक्षक महोदय का स्पष्ट स्पष्टिकरण।
5. प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष महोदय का स्पस्टिकरण पत्रांक संख्या – 01/OU/Correspondance/2013 dated 20/07/2013
6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या ओ. यू. / परीक्षा / 6883 / 2013 दिनांक 10 / 09 / 2013 – परीक्षा केन्द्र निरस्त करने के सम्बन्ध में।
7. प्रबन्धक महोदय द्वारा स्पस्टिकरण पत्रांक संख्या – 03/OU/Correspondance/2013-14 dated 06/11/2013
8. प्रबन्धक महोदय द्वारा स्पस्टिकरण पत्रांक संख्या – 04/OU/Correspondance/2013-14 dated 22/11/2013
9. प्रबन्धक महोदय द्वारा स्पस्टिकरण पत्रांक संख्या – 05/OU/Correspondance/2013-14 dated 23/11/2013
10. प्रबन्धक महोदय द्वारा स्पस्टिकरण पत्रांक संख्या – 06/OU/Correspondance/2013-14 dated 02/12/2013
11. प्राचार्य महोदय द्वारा पत्रांक संख्या – 02/OU/Correspondance/2013 dated Sep 2013 – जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की गयी आरोप पत्र की छायाप्रति
12. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित पृष्ठांकन संख्या / मेमो / 2013–14 दिनांक 10 अक्टूबर 2013
13. जिला विद्यालय निरीक्षक के एक विवादित अधिकारी होने का शासन द्वारा निर्गत पत्र प्रमाण (तीन प्रतियों में)

डॉ. पी. पी. दूबे
परीक्षा नियन्त्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ
इलाहाबाद – 211 013
दूरभाष : 2447038 (ओ)

पत्रांक : ओ. यू. / परीक्षा / गोपनीय /2013

दिनांक : 21 /05 / 2013

सेवा में,

प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष

C-203

देवरिया

महोदय / महोदया,

सूचित करना है कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षाओं हेतु माननीय कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। आपसे अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार सुव्यवस्थिति एवं पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं सम्पन्न करायेगें। इसी क्रम में यह भी अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देंगे जिससे परीक्षा के उपरान्त आने वाली समस्याओं सें बचा जा सके :–

1. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् समस्त पालियों का P7 एवं अन्य प्रपत्र को परीक्षा विभाग में एक साथ सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तिथियों के अनुसार पंजीकृत डाक से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. सत्रान्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिका Morning Shift की उसी दिन सायं एवं Evening Shift की उत्तर पुस्तिका अगले दिन पूर्वाह्न परीक्षा नियत्रंक के नाम स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से Dispatch हो जाना चाहिए। ऐसे केन्द्र जो इसका पालन नही करते उनके परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने के साथ ही नियमानुसार अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। Dispatch पर होने वाले अनुमानित व्यय की धनराशि पूर्व में Advance के रूप में Exam Centres को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. UFM की उत्तर पुस्तिका का अलग पैकेट बनाकर Morning Shift की उसी दिन सायं एवं Evening Shift की UFM की उत्तर पुस्तिका अगले दिन पूर्वाह्न परीक्षा नियत्रंक के नाम स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से Dispatch हो जाना चाहिए।
4. इस वर्ष प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं (अ) का प्रयोग यथा सम्भव क्रमानुसार करेंगे तथा गत वर्ष की सभी पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय को अविलम्ब वापस प्रेषित करेंगे।

21.5.13
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

21.5.13
परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ
इलाहाबाद – 211 013

डॉ. पी. पी. दुबे
परीक्षा नियंत्रक

दूरभाष : 2447038 (O)

पत्रांक : ओ. यू. / परीक्षा / गोपनीय /2013 दिनांक : / /2013

सेवा में,

डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी
उपाचार्य वाणिज्य
लाला राघव दास भगवान दास पी.जी. कालेज आश्रम बरहज देवरिया

महोदय / महोदया,

माननीय कुलपति जी ने विश्वविद्यालय की सत्र जून – 2013 की सत्रान्त परीक्षाएँ नकल विहीन एवं नियमानुसार आयोजित करने हेतु आपको दिनॉक 07-6-2013 से 21-6-2013 तक प्रातः व सायं .... पाली में परीक्षा केन्द्र डिफेन्स कालेज आफ कामर्स एण्ड टैक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। परीक्षा केन्द्र पर आपको पूरे समय तक स्वयं उपस्थित रहकर निम्न कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित कराना है:

1. सुनिश्चित करें कि प्रश्न पत्रों के पैकेट्स, सुरक्षित रखे गये है। प्रश्न पत्र खोलते समय नियमानुसार केन्द्राध्यक्ष के साथ आपको भी तिथि एवं समय डालते हुए हस्ताक्षर करने हैं।
2. सुनिश्चित करें कि परीक्षायें निर्धारित समय पर शुरू होकर निर्धारित समय पर ही समाप्त करायी जा रही है।
3. यह भी सुनिश्चित हो कि परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र एवं जॉच पत्र आदि की जांच विधिवत की जा रही है तथा वास्तविक परीक्षार्थी ही अपनी परीक्षा दे रहा है।
4. अन्य आवश्यक अभिलेखों, कक्ष निरीक्षको, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती आदि विश्वविद्यालय के नियमानुसार की गयी है इससे भी आश्वस्त हो लें।
5. परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी विसंगति अथवा नियम के उल्लधंन पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचना दें।
6. अन्त में परीक्षा केन्द्र के विषय में सम्पूर्ण जानकारी, व्यवस्था के सन्तोषजनक होने आदि की सम्पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आपकी सम्पूर्ण आख्या गोपनीय होना चाहिए।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार आपको मार्ग व्यय एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

पृ. संख्या ओ. यू. / /2013 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष

परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

परीक्षा नियन्त्रक

दूरभाष : 2447038 (O)

पत्रांक : ओ. यू. / परीक्षा / 5911 / 2013 दिनांक : 25/06/2013

सेवा में,

प्राचार्य / समन्वयक
डिफेन्स कालेज आफ कामर्स
एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंट
25 / 253, न्यू कालोनी
देवरिया – 274001

विषय : आपके परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल के विषय में समाचार पत्रों में छपी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

विदित हो कि दिनॉक 21 / 06 / 2013 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में आपके परीक्षा केन्द्र पर चल रही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में सामूहिक नकल की सूचना प्रकाशित हुयी है।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में देते हुए माननीय कुलपति जी के समक्ष तीन कार्य दिवसो के अन्दर स्वयं उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

डॉ. (पी. पी. दूबे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ. संख्या ओ. यू. / / 2013 तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

डॉ. (पी. पी. दूबे)
परीक्षा नियंत्रक

प्रेषक,

डा0 अरुण कुमार त्रिपाठी
पर्यवेक्षक– केन्द्र सं0 S-703
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंट
देवरिया।

सेवा में,

मा0 कुलपति महोदय
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर) सेक्टर–एफ, शान्तिपुरम्, फाफामऊ
इलाहाबाद।

विषयः **केन्द्र सं0 S-703 डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंट देवरिया पर दिनॉक 20/06/2013 को परीक्षा पर्यवेक्षक की आख्या /स्पष्टीकरण।**

महोदय,

निवेदन है कि परीक्षा नियंत्रक के पत्रांक सं0 ओ0यू0/परीक्षा/गोपनीय–2013 दिनॉक रहित का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त में उल्लिखित पैरा–1 लगायत 4 का मैंने निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया है।

जहाँ तक केन्द्र सं0 S-703 पर दिनॉक 20/06/2013 को द्वितीय पॉली की परीक्षा की बात है, के सन्दर्भ में मेरा स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि मैंने उक्त केन्द्र की परीक्षा नियमानुसार अपने देख–रेख में सम्पन्न करायी तथा सायं 5:10 पर सभी उत्तरपुस्तिकाओं को केन्द्राध्यक्ष के कार्यालय में स्वयं के समक्ष केन्द्राध्यक्ष को सुपुर्द किया, जिसके बाद मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। ड्यूटी पूरी करने के बाद मैं अपने घर चला गया।

मेरी ड्यूटी के दौरान न तो नकल हुई, न ही किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गयी और न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उक्त केन्द्र पर जॉच के लिए आया।

स्पष्टीकरण आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

दिनॉकः

(डा0 अरुण कुमार त्रिपाठी)
पर्यवेक्षक
केन्द्र संख्या– S-703

प्रतिलिपिः

परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
(विश्वविद्यालय परिसर) सेक्टर–एफ, शान्तिपुरम्, फाफामऊ,
इलाहाबाद।

संलग्नक :- पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्र की छायाप्रति

Dr. Shashi Kant Tiwari
Principal

09305105130, 08400209727
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. : 01/O.U/Correspondance/2013 Dated : 20/07/2013

प्रेषक--

प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष
डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया (उ0प्र0)

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर)सेक्टर--एफ, शान्तिपुरम, फाफामऊ,
इलाहाबाद (उ0प्र0)

विषय-- डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया पर दिनांक 20 जून 2013 को प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी के स्पष्टिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय

दिनांक 20 जून 2013 को द्वितीय पाली में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों **B.Com-08, MAED-06, M.com-04(N)** तथा **UGPS-04** की परीक्षाएँ सम्पन्न करायी गयी, जिसमे कुल 53 छात्रों की संख्या निर्धारित थी तथा उपरोक्त सभी विषयों की परीक्षाएँ निर्धारित समय सीमा दोपहर 02:00 से 05:00 बजे तक मेरे स्वयं की मौजूदगी में सूव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से करायी गयी थी।

परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त सभी कक्ष निरीक्षक नियमतः 05 बजकर 10 मिनट पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्राध्यक्ष के कार्यालय में जमा कर चले गये थे। मेरे स्वयं की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाओ का मिलान करके सील करने की तैयारी की जा रही थी जैसा की विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या ओ0 यू0/परीक्षा/गोपनिय/2013 दिनांक 21 मई 2013 के अनुसार निर्देशित किया गया था। तदनुसार उत्तर पुस्तिकाओं को दुसरे दिन रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भेजा जाना था।

जैसा की विदित हो कि केन्द्र सं0 S-703 डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया उ0 प्र0 को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के बाद वो सारे शिक्षा माफिया खार खाये बैठे थे जिनके महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र नही बनाया गया था। जिसके जरिये वे अवैध कमाई और धनादोहन करते थे। जिसके परिणाम स्वरूप मेरे महाविद्यालय/परीक्षाकेन्द्र के विरूद्ध एक साजिश के तहत उक्त छापेमारी करायी गयी। इस साजिश में विश्वविद्यालय के भी कुछ लोग शामिल है जो इन शिक्षा माफियाओं से सॉठ--गॉठ रखते है और इनके अवैध कमाई के भागीदार भी है।

जहां तक उक्त छापेमारी की बात है, इसके सन्दर्भ मे मेरा स्पष्टीकरण यह है कि परीक्षा सम्पन्न कराने के बाद मै स्वयं की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान करा रहा था इसी दौरान सायं 6:30 बजे एस0 डी0 एम0 दिनेश गुप्ता ने भारी पुलिस बल के साथ केन्द्र पर धावा बोला जब उनके हाथ कुछ नही लगा तो वे मिलान की गयी उत्तर पुस्तिकाओं मे से कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को निकाल लिये तथा पुस्तकालय में जाकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कुछ किताबें निकाल लाये और उसको जबरिया नकल सामग्री साबित करने पर आमादा हो गये। जब हमने उनके इस बात का विरोध किया तो वे नाराज होकर धमकी देने लगे और अपने साथ लाये पुलिस बल के द्वारा मेरे उपर दबाव बनाकर एक सादे कागज पर मनचाहा वक्तव्य लिखवा लिया। इसके बाद उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व अपने करीबी मीडीया के कुछ लोगों को बुला लिया।

Dr. Shashi Kant Tiwari
Principal

09305105130, 08400209727
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :.......................   (2)   Dated :.......................

जिला विद्यालय निरीक्षक ने एस0 डी0 एम0 के कहने पर मुझे किनारे ले जाकर एक लाख रूपये की मांग की जिसे मैने तत्काल मना कर दिया, जो कि इनकी नियति रही है,(इस सन्दर्भ में एक प्रमाण पत्र भी आपके संज्ञान में लाने के लिए संलग्न किया जा रहा है।) जिससे खुन्नस खाये एस0 डी0 एम0 और जिला विद्यालय निरीक्षक ने मीडीया के सामने एक मैनेज स्टोरी पेश कर दी, और कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया।

मीडीया के लोगों ने भी खबर रोकने के नाम पर मुझसे पैसे मांगे पर मेरे द्वारा मना कर दिये जाने से छापेमारी को मिर्च मसाले के साथ छापा गया जो कि तथ्यहीन और आधारहीन है।

जहांतक अखबारों में छात्रों के फोटो छपे है और उनको नकलची छात्र बनाया गया है इसके सन्दर्भ में मेरा स्पष्टीकरण यह है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ छात्र जो सुदूर क्षेत्रों से आते है वे अपने अभिभावकों के आने का इन्तजार महाविद्यालय के समाने सडक पर कर रहे थे। उन छात्रों को एस0 डी0 एम0 के साथ आये बाबू और अर्दली पकड कर महाविद्यालय के छत पर ले जाकर जबरिया बैठाकर फोटो खिचवाई जो कि अखबार मे प्रकाशित फोटो से भी स्पष्ट हो जाता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त से अवगत होते हुए मेरे महाविद्यालय के विरूद्ध रची गयी साजिश को संज्ञान में ले साथ ही ऐसे लोगों के विरूद्ध भी कठोर कमद उठायें जो विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध केन्द्रो को बदनाम करने की साजिश रचते रहते है।

भवदीय
Sk Tiwari
डा0 शशिकान्त तिवारी
प्राचार्य
Principal
Defence College of Commerce & Technical Management
DEORIA (U.P.)
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स
टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित–
परीक्षा नियंत्रक
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर)सेक्टर–एफ, शान्तिपुरम, फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"
फाफामऊ, इलाहाबाद

डॉ.(पी0 पी0 दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

0532–2447038

पत्रांक: ओ0यू0 / परीक्षा / 6883 / 2013

दिनांक: 10 / 09 / 2013

सेवा में,

प्राचार्य / समन्वयक
डिफेन्स कालेज, आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट,
देवरिया

विषयः– परीक्षा केन्द्र निरस्त करने के सन्दर्भ में

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि परीक्षा जून– 2013 में आपके केन्द्र **S-703 डिफेन्स कालेज, आफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया** पर दिनांक 14–06–2013 को प्रथम पाली की परीक्षा में उड़ाका दल के औचक निरीक्षण आख्या के अनुसार परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक थी। परीक्षार्थी स्वअध्ययन सामग्री से नकल करते पाये गये थे। जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20–06–2013 को भी आपके परीक्षा केन्द्र पर द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों के पास अनुचित सामग्री पाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई। प्रकरण दिनांक 14–08–2013 को सम्पन्न परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक में रखा गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति ने आपके केन्द्र को भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया।

अतः आपके केन्द्र को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए भविष्य में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जायेगा।

डॉ.(पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ.सं.:ओ.यू. / 6883 / 2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया
2. एस. डी. एम. (सदर) देवरिया
3. जिलाधिकारी, देवरिया
4. कुलसचिव, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय।
5. मा0 कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

डॉ.(पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

ya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. : 03/OU/Correspondance/2013-14 Dated : 06/11/2013

प्रेषक,

प्रबन्धक
डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया (उ0प्र0)

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

विषय :– विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू./परीक्षा/6883/2013 दिनांक 10/09/2013 विषयक प्रकरण पर आपत्ति/स्पष्टीकरण

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू./परीक्षा/6883/2013 दिनांक 10/09/2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न है)

उक्त पत्र में केन्द्र संख्या **S-703**, डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) को दिनांक 14/08/2013 हुई परीक्षा समिति की 15वीं बैठक में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है– जिसका **प्रथम आधार** दिनांक 14/06/2013 को प्रथम पाली परीक्षा में उड़ाका दल की निरीक्षण आख्या को बताया गया है तथा उक्त पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि उड़ाका दल की निरीक्षण आख्या में "परीक्षा व्यवस्था असंतोषजनक थी और परीक्षार्थी स्व–अध्ययन सामग्री से नकल करते पाये गये थे।" **द्वितीय आधार** जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट–जिसमें 20/06/13 को परीक्षा केन्द्र पर द्वितीय पाली में परीक्षार्थीयों के पास अनुचित सामग्री पाये जाने की शिकायत की गयी है।

प्रथम आधार के संदर्भ में श्रीमान को विदित कि उक्त दिनांक को विश्वविद्यालय का उड़ाका दल हमारे महाविद्यालय पर आया था जिसका नेतृत्व डा0 टी0एन0 दुबे (पुस्तकालयाध्यक्ष) कर रहे थे। उड़ाका दल के निरीक्षण में कुछ भी आपत्तिजनक नही मिला जिसपर डा0 टी0एन0 दुबे ने केन्द्राध्यक्ष से कहा कि मुझे इस महाविद्यालय के लिए विशेष रूप से भेजा गया है इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो खानापुर्ति करनी ही होगी यह कहकर डा0 टी0एन0 दुबे परीक्षा कक्ष में गये और उधर से आठ उत्तर पुस्तिकाओं पर लाल स्याही से क्रास करके ले आये और पर्यवेक्षक तथा केन्द्राध्यक्ष महोदय से अनुचित सामग्री के प्रयोग की बात कही जिसपर तत्काल पर्यवेक्षक व केन्द्राध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए अनुचित सामग्री दिखाने की मांग की जिसपर डा0 टी0एन0 दुबे भड़क उठे और केन्द्राध्यक्ष को फटकारते हुए कहा कि जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो मुझे उपर से निर्देश मिला है। तदोपरान्त उक्त कापियों को सील कराकर विश्वविद्यालय को भेजने का निर्देश दिया। अतः

Su/ya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 094150473

डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमे
Defence College of Commerce & Technical Managem
Deoria (U.P.) - 274

Letter No. :......................   Dated :......................

श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त उत्तर पुस्तिकाओं के साथ संलग्न अनुचित नकल सामग्री का परीक्षण करान की कृपा करें क्योंकि यदि अनुचित सामग्री का प्रयोग हुआ है तो उक्त अनुचित नकल सामग्री पर उड़ाका दल के प्रभारी और केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर मिलने चाहिए और यदि ऐसा नही है तो प्रथम आधा अपने आप में शून्य हो जाता है तथा उक्त कार्यवाही/निरीक्षण आख्या किसी सोची समझी साजिश का हिस्स मानी जायेगी।

द्वितीय आधार के सन्दर्भ में श्रीमान जी को विदित कि दिनांक 20/06/2013 को द्वितीय पाली क परीक्षा समाप्ति के बाद सायं 06:30 बजे प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष और समन्वयक कापियों का मिलान करा रहे थे ज कि परीक्षा नियंत्रक उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या ओ.यू /परीक्षा/गोपनीय /2013 दिनांक 21/05/2013 के नियमानुसार अगले दिन पूर्वाहन रजिस्टर्ड पार्सल व माध्यम से डिस्पैच होना था (पत्रांक की छायाप्रति संलग्न है।) उसी समय **एस0डी0एम0 देवरिया सदर** ने केन्द्र पर छापेमारी की जिसमें उनके हाथ कुछ भी नही लगा जिसपर एस0डी0एम0 साहब ने किसी से फोन पर बा की और परीक्षा केन्द्र पर कुछ भी आपत्तिजनक नही मिलने की बात कही किन्तु फोन पर उन्हे पता नही क्य कहा गया कि वे तनाव में आ गये और साथ लाये पुलिस बल के जवानों और अपने अर्दली के जरिए परीक्ष केन्द्र के बाहर सड़क पर खड़े सुदुर क्षेत्रों से आने वाले छात्रों (जो अपने अभिभावकों के आने की प्रतिक्षा क रहे थे) को पकड़वाकर जबरिया परीक्षा केन्द्र के उपरी मंजिल के छत पर ले गये और साथ में ला मिडियाकर्मियों से उनकी फोटो खिंचवायी तथा मिलान की जा रही उत्तर पुस्तिकाओं में से कुछ को निका लिया तदोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया को बुलाकर मुकदमा दर्ज कराने को कहा जिसके आलोक पूरा विवरण और स्पष्टीकरण प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक द्वारा विश्वविद्यालय को दिया और भेजा ज चुका है। **(सभी छायाप्रति संलग्न है) साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के बारे में यह बताना आवश्य है कि वे एक विवादित अधिकारी रहे हैं और रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम द्वारा हाथरस जिले गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। (जिसकी छायाप्रति प्रमाण संलग्न है।)**

पत्रांक संख्या ओ.यू./परीक्षा/6883/2013 दिनांक 10/09/2013 का पत्र प्राप्त होने के उपरान जब हमने जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया रामाज्ञा कुमार से सम्पर्क किया और उनके द्वारा विश्वविद्यालय व भेजे गये शिकायती पत्र के बावत जानकारी चाही तो उन्होने ऐसे किसी पत्र को भेजे जाने की बात से इन्का कर दिया। दिनांक 29/10/2013 को जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा प्रेषित पत्र पृष्ठांक संख्या/मेमो/2013–14 दिनांक 10 अक्टूबर 2013 महाविद्यालय के प्राचार्य को प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित कि संदर्भित प्रकरण में विश्वविद्यालय को रिपोर्ट/आख्या प्रेषित करना उनके अधिकार क्षेत्र में नही आता अ न ही ऐसा कोई पत्र उनके द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया है। **(प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है** अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि आधार संख्या द्वितीय प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक द्वारा प्रेषि स्पष्टिकरण और जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को प्रेषित पत्र अनुसार आधारहीन हो जाता है तथा आधार संख्या द्वितीय भी तथ्यों के आधार पर एक सुनियोजित साजिश त तरफ ही इशारा कर रहा है।

श्रीमान जी को ज्ञात हो कि मेरे महाविद्यालय पर दिनांक 20/06/2013 को हुई छापेमारी के बा एक पत्र परीक्षा नियंत्रक के द्वारा पत्रांक संख्या ओ.यू./परीक्षा/5911/2013 दिनांक 24/06/2013 व

.ya Kant Tiwari
.nager

08005402929, 09415047365

डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :.......................   Dated :..........................

विश्वविद्यालय परिसर के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में मुझे दिया गया जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य/समन्वयक को इंगित करते हुए माननीय कुलपति महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश प्राप्त हुआ था।

श्रीमान जी को विदित कि पत्र प्राप्ति के उपरान्त पुनः प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, समन्वयक और मैं स्वयं (प्रबन्धक) माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर ए0के0 बख्शी के समक्ष उपस्थित हुए और पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी दी इसके बाद लिखित स्पष्टीकरण भी दिया। उक्त स्पष्टीकरण से माननीय कुलपति महोदय पूरी तरह संतुष्ट हो गये और हम सबको यह आश्वासन भी दिया कि **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय के कई जिम्मेदार माननीय कुलपति महोदय के पीठ पीछे जिले के कई शिक्षा माफियायों के इशारे पर कार्य करते रहे और मेरे महाविद्यालय के विरूद्ध साजिश रचते रहे। इसके पीछे बड़ी वजह यह रही है कि कई शिक्षा माफियायों के महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों व अन्य कई सम्बद्ध केन्द्रो के परीक्षार्थीयों को हटाकर निवर्तमान माननीय कुलपति महोदय की सहमति पर मेरे महाविद्यालय के साथ जोड़कर परीक्षा केन्द्र बनाया गया जिससे उनकी कमाई का जरिया बाधित हुआ, जिससे सारे शिक्षा माफिया खार खा बैठे और विश्वविद्यालय में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मेरे महाविद्यालय को नेस्तनाबूत और बदनाम करने की साजिश रच डाली।

मेरे इस कथन के पीछे किसी पर आरोप लगाने का मकसद नही है अपितु जो तथ्य सामने आये है वे खुद ही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मसलन उड़ाका दल उस दिन शहर में विशेष रूप से मेरे परीक्षा केन्द्र **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया (उ0प्र0) पर ही आया जबकि **B.J.P** के कुछ नेताओं ने उड़ाका दल प्रभारी से मिलकर उनसे केन्द्र संख्या **S-017** बी0आर0डी0 कालेज, देवरिया तथा एक अन्य महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों पर भारी मात्रा में हो रही सामुहिक नकल के बारे में लिखित शिकायत की तथा कुछ फोटोग्राफ भी प्रमाण स्वरूप में दी किन्तु इन केन्द्रो पर उड़ाका दल नहीं गया।

विश्वस्त सुत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय में लागू नियमों को ताक पर रखकर देवरिया जिले के एक केन्द्र को अध्ययन सामग्री डाक द्वारा न भेज कर ट्रक से ले जाने के लिए दे दिया गया है जो जिले के शिक्षा माफियाओं और विश्वविद्यालय में उनके सहयोगियों द्वारा कतिपय काकस का एक जीता जागता नमूना है।

साथ ही श्रीमान जी को अवगत कराना है कि इस काकस में पुर्व परीक्षा नियन्त्रक डा0 आर0पी0एस0 यादव कुलसचिव डा0 ए0के0 सिंह एवं परीक्षा अनुभाग ओ0 एस0 डी0 डा0 मुकेश कुमार की भुमिका संदिग्ध है।

श्रीमान जी को विदित कि सम्पन्न हुई जून माह की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र त्रुटिपुर्ण एवं अपुर्ण थे। किसी भी परीक्षर्थी के प्रवेश पत्र पर पहचान के लिए न फोटो अंकित था और न ही कोई अन्य पहचान जिससे कि सही एवं उचित परीक्षार्थीयों की पहचान कर पाना एक दुष्कर काम बन गया था फिर भी हमने अपने स्तर पर सतर्कता बरतने की पूरी कोशिश की। विश्वविद्यालय द्वारा इतनी बड़ी चूक को नजरअंदाज किया गया जबकि मेरे महाविद्यालय द्वारा पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद हमें साजिश के तहत फंसाया गया।

अतः श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि मेरे परीक्षा केन्द्र **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध रची गयी साजिश का संज्ञान लेते हुए केन्द्र संख्या **S-703** को

...rya Kant Tiwari
M...nager

08005402929, 09415047365

डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :..................... Dated :.........................

काली सूची से मुक्त करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाए रखने की महती कृपा प्रदान करें साथ ही संदिग्ध एवं विवादित भुमिका के लोगो की जॉच कराकर उनके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करना विश्वविद्यालय हित में होगा जिससे भविश्य में किसी अन्य केन्द्र के साथ ऐसी साजिश न हो सके और विश्वविद्यालय बदनाम होने से बचा रहे।

भवदीय

(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

पत्रांक संख्या :03/OU/Correspondance/2013-14 dated : As above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति
   राजभवन, लखनऊ (उ0प्र0)
2. कुलसचिव,
   उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
   (विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
   फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)
3. परीक्षा नियंत्रक
   उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
   (विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
   फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

संलग्नक :—

1. पत्रांक सं0 ओ0यू0/परीक्षा/गोपनीय/2013 दिनांक 21.05.2013 की छाया प्रति।
2. पत्रांक सं0 01/OU/Correspondance/2013 dated 20/07/2013
3. केन्द्र सं0 एस–703 के पर्यवेक्षक का स्पष्टीकरण पत्र।
4. विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक की नियुक्ति–पत्र।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरूद्ध शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की छायाप्रति।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया द्वारा प्राचार्य, डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मनैजमेन्ट, देवरिया को प्रेषित पृ0सं0/मेमो/2013–14 दिनांक 10.10.2013 की छायाप्रति।

भवदीय

(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

Manager
Defence College of Commerce
Technical Management
DEORIA (U.P.)-274001

..rya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. 04/OU/Correspondance/2013-14 Dated : 22/11/2013

प्रेषक,

प्रबन्धक
डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया (उ0प्र0)

सेवा में,

परीक्षा नियन्त्रक महोदय
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

विषय :— केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम करने के पश्चात, साजिश के पर्दाफाश होने के उपरान्त महाविद्यालय की खोई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये कदम अथवा मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) को जून 2013 में सम्पन्न हुई परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के एक काकस द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम किया गया तथा उसी साजिश के आलोक में उपरोक्त केन्द्र/महाविद्यालय को आपके पत्रांक संख्या ओ. यू./परीक्षा/6883/2013 के द्वारा महाविद्यालय को काली सूची में डाल दिया गया तथा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय भी परीक्षा समिति की बैठक में पारित करवा दिया गया।

जैसा कि 20/06/2013 की परीक्षोपरांत रचे गये साजिश के स्पष्टीकरण तथा व्यक्तिगत तौर पर भी विश्वविद्यालय को लगातार यह बताया गया कि केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध साजिश रची गयी है, परन्तु हमारी यह बात कतिपय लोगों के प्रभाव में या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं सुनी गयी।

केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) को काली सूची में डालने एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के दो आधार बनाये गये थे, जो आधारहीन और शून्य निकले (महाविद्यालय के पत्रांक संख्या 03/OU/Correspondance/2013-14 dated 06//11/2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें।)

...rya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No.................... Dated :..........................

उपरोक्त पत्रांक संलग्नक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के पत्र से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ०प्र०) के विरूद्ध साजिश रची गयी थी जिसमें विश्वविद्यालय के कई जिम्मेदार शामिल हैं।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन के साथ यह जानना है कि उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आने के बाद क्या महाविद्यालय की प्रतिष्ठा गिराने वाले विश्वविद्यालय के तमाम जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? साथ ही केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ०प्र०) की प्रतिष्ठा बहाली के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया है, यदि ऐसा नहीं है तो अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए केन्द्र संख्या **S-703** को कौन से कदम उठाने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें।

भवदीय

(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

पत्रांक संख्या : /OU/Correspondance/2013-14 dated : As above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मा० कुलाधिपति के प्रमुख सचिव,
   राजभवन, लखनऊ (उ०प्र०)
2. कुलपति महोदय,
   उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
   (विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
   फाफामऊ, इलाहाबाद (उ०प्र०)
3. कुलसचिव
   उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
   (विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
   फाफामऊ, इलाहाबाद (उ०प्र०)

भवदीय

(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365

डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. : 05/OU/Correspondance/2013-14 Dated : 23/11/2013

प्रेषक,

प्रबन्धक
डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया (उ0प्र0)

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

विषय :– **केन्द्र संख्या S-703 डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध सुनियोजित साजिश, बदनाम करने, काली सूची में डालने, परीक्षा केन्द्र निरस्त करने तथा बदनाम केन्द्र और अवैध वसूली करने वाले केन्द्रों पर कृपा करने सम्बन्धी तथ्य एवं प्रमाण तथा साजिश में शामिल काकस पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं केन्द्र संख्या S-703 की पुरानी स्थिति बहाल करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0), देवरिया जिले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र एवं अनुशासन के मामले में प्रतिष्ठित संस्थान रहा है तथा दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर था। यह स्थिति देवरिया जिले के शिक्षा माफियाओं को नहीं सुहाई जिसके चलते वे विश्वविद्यालय में मौजूद अपने आकाओं के साथ मिलकर महाविद्यालय के विरूद्ध एक सुनियोजित साजिश की और सफलतापूर्वक उसको अंजाम भी विश्वविद्यालय के माफिया गिरोह ने दे दिया।

एक तय स्क्रिप्ट पर रोल प्ले करते हुए केन्द्र संख्या **S-703** को झूठी रिपोर्ट, मनगढ़ंत आरोप और एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त केन्द्र को काली सूची में डाल दिया गया और परीक्षा केन्द्र निरस्त कर दिया गया, जबकि जिले के बदनाम परीक्षा केन्द्रों जहाँ सामूहिक नकल कराई जा रही थी और अवैध

फाइल प्रस्तुत किया
Soontosh
26/11/13

COE
Ashu
26/11/13

34

Surya Kant Tiwari
Manager

2
08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :.................... Dated :..........................

पैसे वसूले जा रहे थे वहाँ विश्वविद्यालय की कृपा बृष्टि होती रही। ऐसे तमाम केन्द्र/केन्दों पर हो रहे सामूहिक नकल और अवैध वसूली के प्रमाण भी विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों को कुछ स्थानीय नेताओं ने सौंपे पर वाह रे कर्तब्यनिष्ठ अधिकारी सबकुछ रद्दी की टोकरी में डाल वापस विश्वविद्यालय चले गये

जिसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि कुछ ऐसे आरोपित केन्द्र शिक्षामाफियाओं के हैं या विश्वविद्यालय के शिक्षामाफिया संगठन के कृपा पात्र हैं, क्योकि अवैध कमाई का हिस्सा विश्वविद्यालय में मौजूद शिक्षा माफियाओं तक पहुँचता है।

उक्त बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रमाणित करने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा— मसलन पूर्व परीक्षा नियन्त्रक डा0 आर0पी0एस0 यादव देवरिया के केन्द्र संख्या— **S-017** बी0आर0डी0 पी0जी0 कॉलेज में पूर्व में कार्यरत रहे हैं और इस केन्द्र के समन्वयक डा0 कमलापति प्रजापति हैं जो डा0 आर0पी0एस0 यादव के खासम—खासों में से एक हैं तथा इसी बी0आर0डी0 पी0जी0 कॉलेज में जून 2013 में (जिस सत्र में केन्द्र संख्या **S-703** को आरोपित किया गया) सम्पन्न परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल भी हुई और अवैध रूप से परीक्षार्थियों से रूपये भी वसूले गये, इन अवैध रूपयों की वसूली करने वाला कोई और नहीं बल्कि केन्द्र समन्वयक डा0 कमलापति प्रजापति के पुत्र श्री नरेन्द्र प्रजापति और उनका एक खास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री रामगनेश सिंह थे। (वसूली से सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न है।) उक्त तथ्य और प्रमाण विश्वविद्यालय के शिक्षा माफियाओं और जिले के शिक्षा माफियाओं के घनिष्टतम सम्बन्धों को उजागर करने के लिए पर्याप्त है।

केन्द्र संख्या— **S-017** बी0आर0डी0 पी0जी0 कॉलेज, देवरिया में लम्बे समय से परीक्षार्थियों का शोषण किया जा रहा है तथा उनसे अवैध वसूली की जाती रही है इस बात का प्रमाण देवरिया जिले के केन्द्र संख्या— **S-075** दीनानाथ पाण्डेय राजकीय महीला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्या डा0 शाहीन चिश्ती एवं केन्द्र संख्या— **S-239** सर्वोदय कॉलेज ऑफ टेक्नॉलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, देवरिया के प्राचार्य/समन्वयक द्वारा दिनांक क्रमशः 25/05/2012 एवं 28/05/2012 को परीक्षा नियन्त्रक महोदय को प्रेषित किये गए पत्र से प्रमाणित होता है। (दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।)

बताते चलें कि हमारे महाविद्यालय केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) को दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0)

Surya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :......................   Dated :..........................

के परीक्षा नियन्त्रक महोदय द्वारा प्रदत्त नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)

श्रीमान जी को विदित हो कि केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) पर स्टोरी कवर करने आये इण्डिया टी0वी0 के पत्रकार को विश्वविद्यालय की कार्य–प्रणाली में काफी झोल नजर आया जिसको स्पष्ट करने एवं प्रमाणिकता हेतु उनके द्वारा विश्वविद्यालय से कुछ बिन्दुओं पर जन सूचना **(R.T.I.)** माँगी गयी, किन्तु जैसा उन्होने बताया कि विश्वविद्यालय ने समय सीमा समाप्त होने के बाद भी एक लम्बे अन्तराल पश्चात् अबतक कोई सूचना नहीं उपलब्ध करायी है। सवाल उठना लाज़मी है कि अगर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली नियम सम्मत, पारदर्शी और पक्षपातपूर्ण रहित थी तो पत्रकार के द्वारा मांगी गयी जन सूचना **(R.T.I.)** उन्हे अबतक क्यों नही दी गयी।

श्रीमान जी अवगत हो कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक छात्रों को उनके अध्ययन सामग्री रजिस्टर डाक द्वारा भेजे जाने का प्रविधान है परन्तु देवरिया के ही एक अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय के संगठित शिक्षा माफियाओं द्वारा पुस्तकालय से अध्ययन सामग्री कों ट्रकों से लाद कर भेजा गया है। जिसके मूल में उक्त केन्द्र/केन्द्रों के चहेते शिक्षा माफियाओं से उक्त अध्ययन सामग्री के एवज में अवैध धनवसूली करना है। और इसी प्रकार अवैध धन वसूली का रूपया जिले और विश्वविद्यालय के शिक्षा माफिया आपस में बाँट लेते है।

ट्रकों द्वारा अध्ययन सामग्री भेजे जाने की पुष्टि श्रीमान जी विश्वविद्यालय में स्थित पुस्तकालय के रजिस्टर का भौतिक निरीक्षण करके किया जा सकता है, जिसमें उक्त अध्ययन केन्द्र/केन्द्रों के छात्रों को भेजे गये अध्ययन सामग्री के स्पीड पोस्ट या अन्य रजिस्टर्ड डाक का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय के नियमों की धज्जियाँ किस प्रकार उड़ाई गयी है जो कि कदापि उचित व नियम सम्मत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, कथ्यों से स्पष्ट है कि दाल में काला नहीं बल्कि काले में दाल है जो "चिराग तले अन्धेरा" वाली कहावत का जीवन्त उदाहरण है। श्रीमान जी को विदित हो कि मेरे केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरुद्ध रची गयी साजिश

rya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :.....................   Dated :.........................

—4—

के अभी बहुतेरे प्रमाण हैं परन्तु वे सभी विधिक दायरे में आते हैं जो कि हमारा अन्तिम विकल्प होगा, परन्तु अभी मै श्रीमान जी की अदालत में हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आप द्वारा केन्द्र संख्या S-703 को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।

भवदीय

(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

पत्रांक संख्या : 05/OU/Correspondance/2013-14   dated : As above
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **मा0 कुलाधिपति के प्रमुख सचिव,**
   राजभवन, लखनऊ (उ0प्र0)
2. **कुलसचिव महोदय,**
   उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
   (विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
   फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)
3. **परीक्षा नियन्त्रक महोदय**
   उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
   (विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
   फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

भवदीय
Surya Tiwari
(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

Defence College of Commerce
&
Technical Management
DEORIA (U.P.)-274001

urya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. : 06/OU/Correspondance/2013-14 Dated : 02/12/2013

प्रेषक,

प्रबन्धक
डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया (उ0प्र0)

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय परिसर) शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)
फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)

विषय :– केन्द्र संख्या **S-703** द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों, प्रमाणों के सन्दर्भ में केन्द्र संख्या **S-703** के परीक्षा केन्द्र को बहाल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि विश्वविद्यालय के केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) महाविद्यालय के पत्रांक संख्या 01/OU/Correspondance/2013-14 dated 20//07/2013, पत्रांक संख्या 03/OU/Correspondance/2013-14 dated 06//11/2013, पत्रांक संख्या 04/OU/Correspondance/2013-14 dated 22//11/2013, पत्रांक संख्या 05/OU/Correspondance/2013-14 dated 23//11/2013 एवं पर्यवेक्षक का स्पष्टीकरण/रिपोर्ट दिनांक 13/09/2013 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उक्त में विश्वविद्यालय और देवरिया जनपद के शिक्षा–माफियाओं के साजिश के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र संख्या **S-703** डिफेन्स कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट देवरिया (उ0प्र0) के विरूद्ध की गयी अवैधानिक कार्यवाहीयों के आलोक में केन्द्र संख्या **S-703** द्वारा विश्वविद्यालय को उक्त केन्द्र के लिए रची गयी साजिश का पर्दाफाश करते हुए तथ्य, कथ्य एवं सत्य को प्रमाण सहित प्रमाणित किया जो कि पुरी ठीक तरह से आप और विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति को ज्ञात है।

खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र संख्या **S-703** ने विश्वविद्यालय को प्रमाण सहित अपने आपको बार–बार निर्दोष साबित किया परन्तु यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि विश्वविद्यालय ने अपनी की हुई गलती को सुधारने की बजाय अबतक छुपाने में ही लगा हुआ है, जिसका खामियाजा केन्द्र संख्या **S-703** भुगत रहा है इस केन्द्र की जितनी भी बदनामी और मानहानि हुई है इन सबका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन ही है, जिससे विश्वविद्यालय और देवरिया जनपद के शिक्षा माफियायों के हौसले बुलन्द हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो, विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक 26/11/2013 को हुई परीक्षा समिति

rya Kant Tiwari
Manager

08005402929, 09415047365
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. :......................   Dated :..........................

की बैठक में केन्द्र संख्या S-703 के विरूद्ध पूर्व में की गयी अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त कर केन्द्र की पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गयी होती।

अतः श्रीमान जी से सानुरोध निवेदन है कि उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए केन्द्र संख्या **S-703** की पुरानी स्थिति को बहाल करते हुए दिसम्बर माह में होने वाली परीक्षा में परीक्षा केन्द्र बनाने की कृपा करें जिससे केन्द्र संख्या **S-703** अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो सके, आप के इस कदम से विश्वविद्यालय एवं देवरिया जनपद के शिक्षा माफियायों को भी एक कड़ा संदेश जाएगा जिससे वे पुनः किसी केन्द्र के विरूद्ध साजिश रचने से पहले कई बार सोचेंगे।

अस्तु पुनः निवेदन है कि केन्द्र संख्या **S-703** के परीक्षा केन्द्र को बहाल करते हुए **दिनांक 07/12/2013** तक मेरे **मोबाईल संख्या** – 08005402929 एवं केन्द्र के ई–मेल आई0डी0– **dcctm1001deoria@gmail.com.** पर सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय
Surya Tiwari
(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक
Manager
Defence College of Commerce
Technical Management
DEORIA (U.P.)-274001

संलग्नक :–

1. महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या **01/OU/Correspondance/2013-14 dated 20//07/2013.**
2. महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या **03/OU/Correspondance/2013-14 dated 06//11/2013.**
3. महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या **04/OU/Correspondance/2013-14 dated 22//11/2013.**
4. महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या **05/OU/Correspondance/2013-14 dated 23//11/2013.**
5. पर्यवेक्षक का स्पष्टीकरण/रिपोर्ट दिनांक 13/09/2013.

पत्रांक संख्या :   /OU/Correspondance/2013-14   dated : As above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 कुलाधिपति के प्रमुख सचिव,
   राजभवन, लखनऊ (उ0प्र0)

(सूर्य कान्त तिवारी)
प्रबन्धक

Dr. Shashi Kant Tiwari
Principal

09305105130, 08400209727

डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
Defence College of Commerce & Technical Management
Deoria (U.P.) - 274001

Letter No. : 02/04/Correspondance/2013 Dated : Sep 2013

प्रेषक,

डा0 शशिकान्त तिवारी
प्राचार्य
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया

महोदय,

निवेदन के साथ कहना है कि प्रार्थी को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट, देवरिया को काली सूची में डालने के लिए कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद को एक पत्र लिखा गया है जिसकी एक प्रति माननीय जिलाधिकारी महोदय, देवरिया को भी प्रेषित है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त पत्र की एक छायाप्रति प्रार्थी को भी देने का कष्ट करें।

भवदीय

Sk Tiwari

(डा0 शशिकान्त तिवारी)
प्राचार्य
डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेन्ट
देवरिया

Principal
Defence College of Commerce & Technical Management
DEORIA (U.P.)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया।

सेवा में,

डा0 ए0के0 सिंह
कुलसचिव
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ) फाफामऊ
इलाहाबाद पिन कोड – 211013

पत्रांकः / /2013–14 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंट, देवरिया के दिनांक 20.06.2013 की द्वितीय पाली की परीक्षा को निरस्त करने एवं संस्था को काली सूची में रखने हेतु तथाकथित भेजे गये पत्र के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सन्दर्भ में डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंट, न्यू कालोनी देवरिया द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको पत्र प्रेषित किया गया है।

सन्दर्भित प्रकरण में स्पष्ट कहना है कि उक्त विषय अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नही आता है और न ही ऐसा कोई पत्र आपको प्रेषित किया गया है।

भवदीय

(रामाज्ञा कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया

पृष्ठांकन सं0:/ मेमो /2013–14 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. कुलपति,
   राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
   शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ) फाफामऊ इलाहाबाद – 211013
2. परीक्षा नियंत्रक
   राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
   शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ) फाफामऊ इलाहाबाद – 211013
3. प्राचार्य
   डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंट,
   न्यू कालोनी देवरिया – 274001

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया

शिक्षा अनुभाग 13

संख्या– 2497 / 15–13–09–1(94) / 2009

लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2009

कार्यालय – ज्ञाप

शिक्षा निदेशक(मा0) द्वारा अर्द्धशा0प0सं0–डी0ई0 / 1104 दि0–17.11.09 के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि श्री रामाज्ञा कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, महामायानगर (हाथरस) को रू0 50,000 / – की रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेन्स टीम द्वारा दिनांक–12.11.09 को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। श्री रामाज्ञा कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली हाथरस में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कराये गये मुकदमे में उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

2– उपरोक्त के दृष्टिगत श्री रामाज्ञा कुमार, जि0वि0नि0 महामायानगर को उ0प्र0 अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम–4 (3)(क) के अन्तर्गत दिनांक 12–11–2009 से शासन के अग्रिम आदेशों तक निलम्बित समझे जायेंगे।

3– निलम्बन अवधि में श्री रामाज्ञा कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम –53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

4– उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब श्री रामाज्ञा कुमार इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नही लगे हैं।

जितेन्द्र कुमार

सचिव।

संख्या–2497 (1) / 15–13–2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– शिक्षा निदेशक, माध्यमिक / शिक्षा निदेशक, बेसिक / निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 / साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी / संयुक्त शिक्षा निदेशक।

3– अपर शिक्षा निदेशक, (मा0) / उप शिक्षा निदेशक(सेवा–1) / (सेवा–2), उ0प्र0, इलाहाबाद।

4– श्री रामाज्ञा कुमार (द्वारा जिलाधिकारी, महामायानगर)।

5– गार्ड बुक / सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु / कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–13
संख्या– 1292 /15–13–2010–1(94)/09
लखनऊ–दिनांक 22 जून,2010

कार्यालय –ज्ञाप

श्री रामाज्ञा कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, महामायानगर (हाथरस) को विजलेन्स–टीम दिनांक 12.11.09 को रंगे हाथों पकड़े जाने के फलस्वरूप श्री रामाज्ञा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था । उक्त की सूचना शासन में प्राप्त होने पर कार्यालय ज्ञाप दि0–27.11.09 द्वारा श्री रा० कुमार , जि0वि0नि0 महामायानगर को उ0प्र0 अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम–4 (3) के अन्तर्गत दिनांक 12–11–2009 से शासन के अग्रिम आदेशों तक निलम्बित समझे जाने (deem suspension) संबंधी आदेश निर्गत किया गया ।

2– श्री रामाज्ञा कुमार द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी से (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–4(3)(ख) के अन्तर्गत निलम्बन समाप्ति हेतु अ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । साथ ही अपने अभ्यावेदन के निस्तारण हेतु श्री रामाज्ञा कुमार द्वारा याचिका सं0–9801/2010 योजित की गई। उक्त याचिका में पारित निर्णय दि0–23.2.10 का आप अंश निम्नवत् है :–

> " The writ petition is accordingly disposed of with the directions to respondent no-1 to consider and decide petitioner's statuary representation under Rule 4(3)(b) of the Rules of 1999 in accordance within a period of three weeks from the date a certified copy of this order is produced before the respondent no-1"

3– मा0 न्यायालय के आदेशानुपालन में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अ नियमावली–1999 के नियम–4(3)(ख) के प्राविधान के अन्तर्गत विचार करते हुये शिक्षा निदेशक (मा0 निलम्बन समाप्ति के बिन्दु पर अभिमत/आख्या मांगी गई, जिसके प्रति शिक्षा निदेशक(मा0) का निम्ना अभिमत प्राप्त हुआ :–

> "प्रश्नगत मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निस्तारण में कतिपय समय लगने की संभावना है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये श्री रामाज्ञा कुमार की बहाली की संस्तुति की जाती है ।"

4– शिक्षा निदेशक(मा0) की उक्त संस्तुति, श्री रामाज्ञा कुमार के 06 माह से अधिक समय निलम्बित होने, उनके विरूद्ध पंजीकृत मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने और उनके वि आरोप तय होने की कोई सूचना विभाग को नहीं प्राप्त होने इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रखते हुये स विचारोपरान्त श्री रामाज्ञा कुमार का निलम्बन समाप्त कर उन्हें सेवा में बहाल किया जाता है।

5– श्री रामाज्ञा कुमार के पदस्थापन के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश

जितेन्द्र कुमार
सचिव।

........................2

43

-2-

संख्या- 1292 (1)/15-13-2010-1(44)/09 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- निदेशक,माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / एस०सी०ई०आर०टी० / साक्षरता एवं वैकल्पिक शि० उ० प्र० लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक उ०प्र० इलाहाबाद।
4- अपर शिक्षा निदेशक (मा०) / उप शिक्षा निदेशक(सेवा-1)/(सेवा-2) उ०प्र० इलाहाबाद।
5- श्री रामाक्षा कुमार , सम्बद्ध कार्यालय शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उ०प्र० इलाहाबाद।
6- गार्ड बुक / कम्प्यूटर।
7- सतर्कता अनुभाग-4 , उ०प्र०शासन।

आज्ञा से,

(नन्दन लाल)
उप सचिव।